रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 130] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 18, 2010/वैशाख 28, 1932
No. 130] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 18, 2010/VAISAKHA 28, 1932

लोक सभा

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2010

सं. 30/1/सी आई/2010.—लोक सभा के दिनांक 16 अप्रैल, 2010 के समाचार भाग-2 में प्रकाशित निम्नलिखित पैरा को आम सूचना के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

''संख्या 1354 **समिति शाखा-एक**

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के अधीन अध्यक्ष के निदेश में संशोधन

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (तेरहवां संस्करण), के नियम 389 के अनुसरण में अध्यक्ष ने निदेशों में निम्नलिखित संशोधन किए हैं :—

नए निदेश 10ख

1. निदेश 10क के पश्चात्, नया निदेश 10ख जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"10ख. **प्रश्नों की संख्या की सीमा.**—किसी सदस्य को, किसी दिन के लिए, मौखिक तथा लिखित उत्तर दोनों के लिए, कुल मिलाकर, दस से अनधिक सूचनाएं देने की अनुमति होगी । किसी सदस्य से, किसी दिन के लिए प्राप्त दस से अधिक सूचनाओं को केवल उसी सत्र की अवधि के दौरान उस मंत्री से संबंधित पश्चात्वर्ती दिन(नों) के लिए रखे जाएंगे । जो सदस्य पूरे सत्र के लिए सूचनाएं देना चाहते हैं वे अपना परस्पर अधिमान दर्शाते हुए ऐसा कर सकते हैं । यदि ऐसे किसी अधिमान को नहीं दर्शाया जाता है तो प्रतिदिन दस से अधिक प्रश्नों की सूचनाओं पर उनकी प्राप्ति के समय के आधार पर उत्तरवर्ती दिन(दिनों) के लिए विचार किया जाएगा । तथापि, प्रतिदिन प्रति सदस्य कुल पांच गृहीत प्रश्नों की विद्यमान सीमा जारी रहेगी ।"

निदेश 15

2. निदेश 15 का लोप किया जाए ।

निदेश 16

3. निदेश 16 में,—

(एक) शब्दों और स्लैश "तारांकित प्रश्न/" के पश्चात् शब्द और स्लैश "अतारांकित प्रश्न/" अंत:स्थापित किए जाएं;

(दो) खण्ड (पांच) का लोप किया जाए; और

(तीन) पार्श्व शीर्षक में, शब्द और स्लैश "तारांकित/अल्प सूचना" का लोप किया जाए ।

निदेश 16क

4. निदेश 16क का लोप किया जाए ।

निदेश 17

5. निदेश 17 के खण्ड (1) में,—

(एक) शब्द और स्लैश "तारांकित/" के पश्चात् शब्द और स्लैश "अतारांकित/"; और

(दो) "अल्पसूचना प्रश्न" शब्दों के पश्चात् "या पूरक प्रश्न" शब्द अंत:स्थापित किए जाएं ।

निदेश 18

6. निदेश 18 में,—

(एक) "ऐसे प्रश्न का लिखित उत्तर सभा पटल पर रखवा देगा" शब्दों के स्थान पर "यह निदेश दे सकेगा/सकेगी कि इसका उत्तर दिया जाए" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं; और

(दो) परंतुक का लोप किया जाए ।

[*टिप्पणी* : उपर्युक्त निदेशों में किए गए संशोधन पंद्रहवीं लोक सभा के पांचवें सत्र के लिए आमंत्रण जारी करने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।]"

पी. डी. टी. आचारी, महासचिव

LOK SABHA

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May, 2010

No. 30/1/CI/2010.—The following paragraph published in Lok Sabha Bulletin Part II, dated 16 April, 2010 is hereby published for general information :—

"No. 1354 Committee Branch-I

Amendment to Directions by the Speaker under the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha

In pursuance of Rule 389 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Thirteenth Edition), the Speaker has made the following amendments to Directions :—

New Direction 10B

1. *After* Direction 10A, the following new Direction 10B shall be *added,* namely :—

"10B. *Limit of number of questions.*—A member shall be allowed to give not more than ten notices of questions both for oral and written answers, in all, for any day. Notices received in excess of ten from a member for a day shall be kept for subsequent day(s) concerning that Minister(s) during the period of that session only. Members who intend to give notices for the entire session may do so by indicating their *inter se* preference. In case, no such preferences are indicated, notices of questions in excess of ten per day shall be considered for subsequent day(s) on the basis of point of time of their receipt. However, the existing overall limit of five admitted questions per day per Member shall continue."

Direction 15

2. Direction 15 shall be *omitted.*

Direction 16

3. In Direction 16,—
   (i) *after* the words and slash "answer to a starred/" the word and slash "unstarred/" shall be *inserted;*
   (ii) clause (v) shall be *omitted;* and
   (iii) in the marginal heading, the words and slash "starred/short notice" shall be *omitted.*

Direction 16A

4. Direction 16A shall be *omitted.*

Direction 17

5. In clause (1) of Direction 17,—
   (i) *After* the word and slash "starred/" the word and slash "unstarred/"; and
   (ii) *After* the words "short notice question" the words "or a supplementary question", shall be *inserted.*

Direction 18

6. In Direction 18,—
   (i) *for* the words "shall cause a written answer to such question being laid on the Table of the House" the words "may direct that the answer to it be given" shall be *substituted;* and
   (ii) the proviso shall be *omitted.*

   [Note : Amendments to the above directions shall come into force from the date of issue of summons for the fifth session of Fifteenth Lok Sabha.]"

P. D. T. ACHARY, *Secy.-General*

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.